



महोबा पुलिस

दिनांक- 02.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 810/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 01.10.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
 - जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
 - पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
 - साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।
- महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ





महोबा पुलिस

दिनांक- 02.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 812/26

सर्किल कुलपहाड़, थाना महोबकंठ

महोबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध पटाखों की बड़ी खेप बरामद, 04 अभियुक्त गिरफ्तार,

189 कार्टून माचिस पटाखा एवं 50 कार्टून सुतली बम समेत कुल 36.94 कुन्तल अवैध आतिशबाजी बरामद...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में आगामी नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली पर्वों के दृष्टिगत अवैध विस्फोटक पदार्थ/आतिशबाजी के निर्माण, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महोबा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री अर्जुन सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना महोबकंठ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02.10.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना महोबकंठ क्षेत्र अन्तर्गत उमरई मोड़ के पास अवैध आतिशबाजी का परिवहन कर रहे 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशानदेही से 189 कार्टून माचिस पटाखा, कुल वजन लगभग 2,611.98 किलोग्राम तथा 50 कार्टून सुतली बम, कुल वजन लगभग 1,082.90 किलोग्राम, कुल 239 कार्टून अवैध आतिशबाजी/विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। बरामदगी के साथ ही 02 ट्रैक्टर एवं 01 डीसीएम वाहन को भी कब्जे में लिया गया है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त जलालुद्दीन द्वारा बताया गया कि उसके पास आतिशबाजी निर्माण का लाइसेंस है, जिसमें निर्धारित क्षमता से अधिक मात्रा में विस्फोटक/तैयार आतिशबाजी रखने एवं तैयार करने की बात स्वीकार की गई। अभियुक्तगण द्वारा उक्त आतिशबाजी को मध्य प्रदेश ले जाकर बेचने की बात भी बतायी गयी। परिवहन संबंधी वैध लाइसेंस/अनुमति प्रस्तुत न कर पाने पर अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रचलित की गयी है।

पुलिस कार्रवाई-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना महोबकंठ में मु.अ.सं. 145/26 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। बरामद अवैध आतिशबाजी को पूर्ण सुरक्षा एवं सावधानी के साथ सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया। बरामद ट्रैक्टर एवं डीसीएम के आवश्यक कागजात प्रस्तुत न किए जाने पर वाहनों के विरुद्ध धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत प्रवर्तन की कार्रवाई की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जलालुद्दीन पुत्र मोहम्मद बक्श बुल्ला, उम्र 68 वर्ष, निवासी ग्राम कनकुआ, थाना महोबकंठ, महोबा।
2. रहीश सिद्दीकी पुत्र जलालुद्दीन, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम कनकुआ, थाना महोबकंठ, महोबा।
3. अरमान सिद्दीकी पुत्र जलालुद्दीन, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम कनकुआ, थाना महोबकंठ, महोबा।
4. धर्मेन्द्र राजपूत पुत्र दशरथ राजपूत, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम टोडा पिहोर, थाना करहरा, जनपद शिवपुरी, मध्य प्रदेश।

बरामदगी का विवरण-

- 189 कार्टून माचिस पटाखा — कुल वजन 2,611.98 किग्रा
- 50 कार्टून सुतली बम — कुल वजन 1,082.90 किग्रा
- कुल 239 कार्टून अवैध आतिशबाजी, वजन लगभग 3,694.88 किग्रा (36.94 कुन्तल)
- अवैध आतिशबाजी के परिवहन में प्रयुक्त 02 ट्रैक्टर एवं 01 डीसीएम

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

1. निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह SHO थाना महोबकंठ
2. अतिरिक्त निरीक्षक श्री बलवान सिंह
3. उ0नि0 रोहित कुमार
4. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह
5. हे0का0 अरुण कुमार सिंह
6. का0 विकास कुमार
7. का0 जयवीर सिंह
8. का0 साहुल सरोज





दिनांक- 02.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 813/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में वरिष्ठ उ0नि0 दिनेश तिवारी मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 119/2026 धारा 137(2)/70(2)/123/351(3) बीएनएस व 5(छ)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विशाल अहिरवार पुत्र रामाधीन, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम परावारी, पोस्ट रजौनी, थाना महोबकंठ, जनपद महोबा को यूनिक लाइब्रेरी के बाहर रामकथा मार्ग, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरण:-

विशाल अहिरवार पुत्र रामाधीन, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम परावारी, पोस्ट रजौनी, थाना महोबकंठ, जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. वरिष्ठ उ0नि0 दिनेश तिवारी, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा
2. का0 धर्मेन्द्र कुमार, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा
3. का0 वैभव त्रिपाठी, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा





दिनांक- 02.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 814/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शराब/जुआ/गांजा/अवैध शस्त्र की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष थाना चरखारी श्री राहुल मिश्रा द्वारा गठित पुलिस टीम में उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार ओझा मय हमराह हे0का0 राजाराम पाल द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त लल्ला मिश्रा उर्फ भान प्रताप पुत्र कृपाल मिश्रा, निवासी ग्राम सूपा हरिजन बस्ती, थाना चरखारी, जनपद महोबा को सम्बन्धित अ0सं0 586/17 धारा 457/380 भादवि में ग्राम सूपा, थाना चरखारी, जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

लल्ला मिश्रा उर्फ भान प्रताप पुत्र कृपाल मिश्रा, निवासी ग्राम सूपा हरिजन बस्ती, थाना चरखारी, जनपद महोबा सम्बन्धित अभियोग:-

अ0सं0 586/17 धारा 457/380 भादवि।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार ओझा, थाना चरखारी, जनपद महोबा।
2. हे0का0 राजाराम पाल, थाना चरखारी, जनपद महोबा।





दिनांक- 02.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 815/26

महोबा पुलिस

गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर बालिकाओं को विधिक, साइबर एवं महिला सुरक्षा (मिशन शक्ति अभियान) के प्रति किया गया जागरूक..।

आज दिनांक 02.10.2026 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रान्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज महोबा में पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों एवं विधिक परिणामों के संबंध में संचालित विशेष जागरूकता अभियान में प्रतिभाग किया गया।

कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा छात्राओं को महिला एवं बाल अपराधों से बचाव, अपने अधिकारों एवं विधिक प्रावधानों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार की प्रताड़ना अथवा अपराध की स्थिति में बिना भय के तत्काल सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही बालिकाओं को साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने, सोशल मीडिया का सुरक्षित एवं जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करने तथा साइबर अपराध घटित होने पर तत्काल संबंधित हेल्पलाइन/पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने के संबंध में जानकारी दी गई।

इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु संचालित मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न सेवाओं एवं हेल्पलाइन नम्बरों के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। छात्राओं को आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों से सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हेल्पलाइन नम्बरों से अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं द्वारा विभिन्न नाटकों एवं प्रस्तुतियों के माध्यम से महिला एवं बाल सुरक्षा, जागरूकता तथा सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रभावी संदेश दिया गया। छात्राओं की प्रस्तुतियों के माध्यम से सुरक्षित वातावरण, समान अवसर एवं बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया।

गांधी जी के सत्य, अहिंसा एवं स्वच्छ समाज के विचारों तथा लाल बहादुर शास्त्री जी के सादगी, कर्तव्यनिष्ठा एवं अनुशासन के आदर्शों को आत्मसात करते हुए समाज में महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा बालिकाओं को आत्मविश्वासी एवं सशक्त बनाने का संदेश दिया गया।

इस अवसर पर मा0 सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज (जू0डि0), अन्य संबंधित जज साहबान, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड, प्र0नि0 कोतवाली नगर श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह, म0उ0नि0 सुषमा चौधरी, शिक्षिका सरगम खरे सहित अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

